

कवासी के करीबियों से मिले 44 संपत्तियों के दस्तावेज एनएसयूआई नेता को दिए थे चार करोड़ महुआ खरीदी में भी लगाया पैसा

■ ईओडब्लू के चालान में कई खुलासे आबकारी अधिकारियों के हिससे का भी जिक्र



हरिभूमि न्यूज ►► रायपुर

2100 करोड़ के शराब घोटाले में ईओडब्लू द्वारा पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ पेश चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं।

बताया गया है

कि शराब

की काली

कमाई का कवासी

लखमा ने करीबियों पर जमकर खर्च किया। चालान में कहा गया है कि लखमा ने बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्री में पैसा निवेश तो किया ही, महुआ कारोबार में भी डेढ़ करोड़ रुपए लगाया था। इस बात का भी इसमें जिक्र है कि उन्होंने अपने करीबी एनएसयूआई पदाधिकारी को चार करोड़ रुपए दिए थे, जिससे उसने

हरिभूमि फॉलोअप

इनके पास से मिले इतने प्रॉपर्टी पेपर

एसीबी, ईओडब्लू ने कवासी लखमा के जिन छह करीबियों के यहां से करोड़ों रुपए के 44 प्रॉपर्टी के पेपर जब्त किए हैं, उनमें सबसे ज्यादा दस्तावेज अबिकापुर के कारोबारी अशोक अग्रवाल से मिले हैं। जिन लोगों के यहां से प्रॉपर्टी पेपर जब्त किए गए हैं, उनकी सूची इस प्रकार से है।

- बसीर अहमद, सुकमा - 07 प्रॉपर्टी पेपर
- जी. नागेश, रायपुर - 11 प्रॉपर्टी पेपर
- राजकुमार तामो, दंतेवाड़ा - 07 प्रॉपर्टी पेपर
- राजेश नारा, सुकमा - 02 प्रॉपर्टी पेपर
- पारसमल जैन, सुकमा - 03 प्रॉपर्टी पेपर
- अशोक कुमार अग्रवाल, अबिकापुर - 14 प्रॉपर्टी पेपर

महुआ खरीदी करने एकम निवेश

ईओडब्लू के चालान में

उल्लेख किया गया है कि कवासी लखमा के पास पेशे से ट्रांसपोर्टर तथा कारोबारी तोंगपाल निवासी जयदीप भदौरिया ने उनसे वर्ष 2020 में महुआ की बढ़ती कीमतों को देखते हुए महुआ संग्रहण करने एक करोड़ रुपए उधार लिया था। बाद में महुआ की कीमतों में और बढ़ोतरी के आसार को देखते हुए कवासी लखमा ने डेढ़ करोड़ और रुपए निवेश किया। जांच एजेंसी ने जब उनसे पर्ची मांगी तो पर्ची कवासी लखमा के नाम से दी गई।